ग्राम पंचायत धरेड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धरेड़ विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। **अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-**

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र कुमार	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति पिंकी देवी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	01.04.13 से 26.07.13
2	श्रीमति इन्द्रा कुमारी	27.07.13 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत धरेड़ के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.06
2	4.4	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते न लगाना	-
3	5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.06

4	6	अनुदान का उपयोग न करना	14.08
5	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	4.67
6	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	6.99
7	11	सीमेंट का संभावित दुरुपयोग	-
8	12	व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.09
9	15	निर्माण कार्य "महिला मण्डल भवन, कण्डकौसरी" में अनियमित भुगतान करने बारे	0.25

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत धरेड़, विकास खण्ड बैजनाथ , जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 30.08.16 से 02.09.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 5/13, 4/14, व 5/15 तथा 3/14, 1/15, व 9/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत धरेड़, विकास खण्ड बैजनाथ , जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹ 7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 204 दिनांक 02.09.16 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 814155 (KCCB) दिनांक 07.09.16 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत धरेड़, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व: स्त्रोत :-** ग्राम पंचायत धरेड़, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व: स्त्रोतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	48766.67	27972	76738.67	11516	65222.67
2014-15	65222.67	44925	110147.67	21962	88185.67
2015-16	88185.67	13250	101435.67	23535	77900.67

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत धरेड़, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	269218.33	2304323	2573541.33	1937753	635788.33
2014-15	635788.33	1674903	2310691.33	1334101	976590.33
2015-16	976590.33	1860319	2836909.33	1428762	1408147.33

4.1 **बैंक समाधान विवरणी :-**

स्व: स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 77900.67

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 1408147.33

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1479891.50

हस्तगत राशि : ₹ 0/-

अन्तर की राशि : ₹ 6156.50

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, HGB – 02524	0
General, Own Source, VKNY, SBM KCCB – 05195	1267608.50
MP, KCCB – 19553	102084.00
SDP, KCCB – 51579	93884.00
13TH FC ZP, KCCB – 19575	15786.00

13TH FC , KCCB – 19508	529.00
कुल राशि	**1479891.50**

4.2 **<u>रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹ 0.06 लाख के अन्तर बारे :-</u>**

(क) जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, SDP, 13th FC ZP, एवं 13th FC, में प्राप्त आय व अनुदान को खाता संख्या KCCB-05195, KCCB-19553, KCCB-51579, KCCB-19575 व KCCB-19508 में जमा करवाया गया था लेकिन समय -2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹ 4817 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है :

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वही का शेष :	**दिनांक 31.03.16 को बैंक में शेष :**
General Grant, VKNY, MP, 13th FC, SDP, एवं SBM , ₹ 1406807.33	General, Own Source, VKNY, SBM KCCB - 05195 ₹ 1267608.50
Own Source, ₹ 77900.67	MP, KCCB - 19553 ₹ 102084.00
	SDP, KCCB - 51579 ₹ 93884.00
	13TH FC ZP, KCCB - 19575 ₹ 15786.00
	13TH FC , KCCB - 19508 ₹ 529.00
Total ₹1484708.00	**₹1479891.50**

अतः उक्त अन्तर की राशि ₹4817 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(ख) जांच में पाया कि पंचायत में मनरेगा के खाता संख्या HGB-02524 में दिनांक 31.03.16 को जमा राशि शून्य थी जबकि रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 31.03.16 को अन्तिम शेष ₹1340 था। अतः बैंक में कम जमा राशि ₹1340 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 **<u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-</u>**

ग्राम पंचायत धरेड़ की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 **<u>नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना :-</u>**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

4.5 **<u>माह 12/2015 में ₹ 559 की हस्तगत राशि को न दर्शाना :-</u>**

पंचायत की सामान्य रोकड़ वही की जांच में पाया कि माह 12/2015 में ₹31235 की राशि बैंक से आहरित की गई थी जिसकी प्रविष्टि रोकड़ वही के पृष्ठ 32 पर दर्ज थी तथा इस राशि से ₹30676 का व्यय किया गया था। इस प्रकार माह 12/2015 में ₹559 (31235-30676) की राशि हस्तगत रूप में शेष थी, जो कि रोकड़ वही में नहीं दर्शाई गई। अतः उक्त वर्णित हस्तगत शेष बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹559 की वसूली चूककर्ता से करके संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.6 जांच में पाया कि वर्ष 2013-14 में सामान्य रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 38 ,39 69 एवं 70 तक खाली रखे गए थे। अतः रोकड़ व्ही के पृष्ठ खाली रखने का औचित्य स्पष्ट करें।

5 **<u>पंचायत राजस्व ₹ 6150 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-</u>**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.12 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अति गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹6150 की वसूली शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग की जानी अपेक्षित**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013-14	7980	15480	23460	13230	10230
2014-15	10230	16230	26460	23790	2670
2015-16	2670	16710	19380	13230	6150

2 अंकेक्षण के दौरान गृहकर के निर्धारण से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए। अतः आगामी अंकेक्षण में बांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6 <u>अनुदान ₹ 14.08 लाख का उपयोग न करना</u> :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1408147 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 <u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व

तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 4.67 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹467289 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **क्रय सामग्री ₹ 6.99 लाख का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹698857 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार

रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 **<u>₹ 1170 का संभावित दुरुपयोग :-</u>**

मनरेगा के वाउचर संख्या 55 दिनांक 25.03.14 की जांच में पाया कि ₹ 1170 का पुन: भुगतान श्रीमति निर्मला देवी को कार्य " निर्माण बाबड़ी समीप कलहोली " में मजदूरी के एवज में किया गया दर्शाया गया था एवं इसकी प्रविष्टि मनरेगा की रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 65 में की गई थी। जबकि अवधि 04/2013 से 03/2016 तक ₹ 1170/- का कोई भी भुगतान वापिस रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया था। जिससे होता है कि श्रीमति निर्मला देवी को इस राशि का दोबारा भुगतान कर दिया गया था। अतः उक्त पुन : भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹ 1170 की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 **<u>14 बैग सीमेंट का संभावित दुरुपयोग</u> :-**

सीमेंट भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ-59 पर दिनांक 25.03.13 को 54 बैग सीमेंट के दर्ज थे एवं इसके पश्चात दिनांक 06.02.14 को 60 बैग सीमेंट का क्रय किया गया था। इस प्रकार भण्डार रजिस्टर में कुल 114 बैग सीमेंट अपेक्षित थे जबकि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ-60 पर केवल 100 बैग सीमेंट के ही दर्शाये गए थे, अर्थात 14 बैग सीमेंट के कम दर्शाये गए थे जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 14 बैग सीमेंट के मूल्य की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11.1 **<u>सीमेंट बैग की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने से संभावित दुरुपयोग</u> :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में नियमों के अनुसार सीमेंट बैग के क्रय की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी एवं न ही यह दर्शाया गया था कि क्रय किए गए सीमेंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, जिससे सीमेंट के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों के अनुसार सीमेंट के क्रय के इन्द्राज एवं निर्गमन की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये यह भी स्पष्ट करें कि निम्नलिखित क्रय की गई सीमेंट बैग की मात्रा का प्रयोग किस कार्य में कितना किया गया था :

क्रमांक संख्या	**क्रय सीमेंट का विवरण**	**सीमेंट की मात्रा**

1	Bill No. 13311 Dated 11.09.14 HP State Civil Supply Corp. ₹69090/-	282 Bags
2	Bill No. 99624 Dated 18.01.14 HP State Civil Supply Corp. ₹ 40425/-	165 Bags
3	Bill No. 29681 Dated 05.03.15 HP State Civil Supply Corp. ₹70315/-	287 Bags
4	Bill No. 73657 Dated 10.02.14 HP State Civil Supply Corp. ₹11050/-	50 Bags

12 <u>व्यय ₹ 8970 से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-</u>

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न दिनांक को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹8970 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	निधि का नाम	वाउचर संख्या	राशि	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	कार्य का नाम
1.	MNREGA	वाउचर संख्या 75/1 दिनांक 24.03.14	130.00	73	नि. कुहल हाकम घराट से जनक चन्द की जमीन तक
2.	General Cash Book	वाउचर संख्या 71 दिनांक 11.02.14	8840.00	Withdrawl vide Cheque No. 2044 Dated 05.02.14	मु. सामुदायिक भवन, जलग्रां
		कुल राशि	**8970.00**		

13 <u>इंरटनेट सेवा के दोहरे कनैक्शन के फलस्वरूप दुरुपयोग :-</u>

(1) जांच में पाया कि पंचायत में दूरभाष संख्या 01894-264168 में ब्रॉडबैंड की सुविधा ली गई है एवं दूरसंचार विभाग को प्रतिमाह मासिक शुल्क का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि पंचायत में समय-2 पर इंटरनेट हेतु डोंगल रीचार्ज हेतु भी भुगतान

किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

वाउचर संख्या	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	भुगतान का विवरण
34 दिनांक 21.10.14	83 दिनांक 21.10.14	Bill No 2375 Dated – M/s Cyber Pub & Internet Cafe, 04/14 to 08/14 ₹1750/-
-	79 दिनांक 31.08.14	3 Months Recharge ₹1050/-
-	17 दिनांक 28.07.15	2 Months Recharge ₹798/-
85 दिनांक 17.12.15	-	2 Nos dongle recharge @ ₹750/- total₹1500/-

अतः इंटरनेट के उक्त वर्णित दोहरे भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा डोंगल इंटरनेट रीचार्ज पर किए गए अपव्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(2) जांच में पाया कि सामान्य रोकड़ वही से वाउचर संख्या 85 दिनांक 17.12.15 में कुल ₹2254 के भुगतान में से ₹1500 का भुगतान दो डोंगलों ₹750 प्रति डोंगल के इंटरनेट रीचार्ज हेतु किया गया था जबकि पंचायत के पास केवल एक ही डोंगल थी। अतः दो डोंगलों के इंटरनेट रीचार्ज करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹750 की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

14 <u>आपूर्तिकर्ताओं को दो वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात ₹ 0.17 लाख के भुगतान करने बारे :-</u>

जांच में पाया कि आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज सुरेश कुमार ने पंचायत के कार्य "नि. रास्ता नजदीक कलहोली मन्दिर" हेतु बिल संख्या 114 दिनांक 28.07.13 द्वारा ₹16975 के मूल्य की निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी जबकि भुगतान 06/2015 में वाउचर संख्या 21 द्वारा किया गया था अर्थात आपूर्ति के दो वर्ष के पश्चात भुगतान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

15 <u>निर्माण कार्य " महिला मण्डल भवन , कण्डकौसरी "में ₹ 25000 का अनियमित भुगतान करने बारे :-</u>

जांच में पाया कि पंचायत के कार्य "महिला मण्डल भवन, कण्डकौसरी " के निर्माण

हेतु वर्ष 2015-16 में 10000 पत्थरों की तुड़वाई हेतु ₹2.50 प्रति पत्थर की दर से ₹25000 का भुगतान किया गया था एवं इतनी ही राशि इनकी ढुलवाई पर भी खर्च की गई थी जबकि अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप में बताया गया कि पत्थरों की तुड़वाई निर्माण कार्य स्थल पर ही करवाई गई थी। अतः अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए कि निर्माण कार्य के लिए पत्थर कहाँ से प्राप्त किए गए थे एवं इनकी ढुलवाई पर किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। ढुलवाई पर किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

वाउचर संख्या	**बिल का विवरण**
10 दिनांक 08.04.15	7000 पत्थरों की ढुलवाई @ ₹2.50 प्रति पत्थर , कुल राशि ₹17500
14 दिनांक 08.05.15	3000 पत्थरों की ढुलवाई @ ₹2.50 प्रति पत्थर , कुल राशि ₹7500

16 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।

17 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **<u>लघु आपति विवरणिका</u> :-**

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)32/2016–खण्ड–1–6562–6565 दिनाँकः16.12.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत धरेड़, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.